



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीना अरोड़ा पत्नी स्व० श्री राजेश अरोड़ा द्वारा प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या—KM-24, कविनगर, गाजियाबाद क्षेत्रफल 227.00 वर्ग मी० पर FASTPAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन संख्या—GDA/BP/MS/2026-27/3324 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अध्याय—15 के प्रस्तर—15.1.3 (i) (iv) व (v) में उल्लेखित है कि महायोजना भू—उपयोग अथवा अनुमोदित ले—आउट में परिभाषित भू—उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जन—सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवासीय उपयोग में आवासीय सह व्यवसायिक उपयोग किये जाने हेतु अनुमन्य है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक/स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [f@GdaGhaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) : [gdagz](https://www.instagram.com/gdagz)

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प